संख्या– / /XVIII(II)/2020–03(39)/2016

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 13 अगस्त, 2020

विषयः– ग्राम रानीपोखरी, परगना, परवादून, तहसील, ऋषिकेश, जनपद देहरादून में पूर्व सैनिकों के लिये ई0सी0एच0एस0 पॉलिक्लीनिक के निर्माण हेतु 0.0700 है0 भूमि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में निःशुल्क पट्टे पर आवंटित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–938/XVIII(II)/2018–03(39)/2016, दिनांक 09 जुलाई, 2018 द्वारा ग्राम रानीपोखरी, परगना, परवादून, तहसील, ऋषिकेश, जनपद देहरादून के खाता संख्या–1105 के खसरा नं0–1ग रकबा 0.0700 है0 श्रेणी–5(3)ड0–अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि शासनादेश सं0–258/16(1)/73–राजस्व–1, दिनांक 09.05.1984 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93 –280– रा0–1, दिनांक–12.09.1997 तथा शासनादेश संख्या–1115/XVII(II)/2016–18(184)/2015 दिनांक 15 जून, 2016 के अन्तर्गत कतिपय शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड के पक्ष में सःशुल्क पट्टे पर आवंटित की गयी थी, आपके पत्र संख्या–670/12ए–(2014–17)डी0एल0आर0सी0, दिनांक 24 अगस्त, 2019 में किए गये अनुरोध के क्रम में शासनादेश संख्या–1338/XVIII(II)/2019– 03(39)/2016, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड के स्थान पर रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में सःशुल्क पट्टे पर आवंटित की गयी है।

2– उक्त के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के प्ररिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1338/XVIII(II)/2019–03(39)/2016, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 द्वारा ग्राम रानीपोखरी, परगना, परवादून, तहसील, ऋषिकेश, जनपद देहरादून के खाता संख्या–1105 के खसरा नं0–1ग रकबा 0.0700 है0 श्रेणी–5(3)ड0–अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि जिसका नजराना रू0 38,50,000/–(रूपये अड़तीस लाख पचास हजार मात्र) तथा मालगुजारी की धनराशि रू0 190/– (रूपये एक सौ नब्बे मात्र) निर्धारित की गयी है, की धनराशि में छूट प्रदान करते हुए श्री राज्यपाल महोदय वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002, शासनादेश संख्या–111/XXVII(7)50 (39)/2015/2014 दिनांक 09 जुलाई, 2015, शासनादेश संख्या–1887/XVIII (II)/2015–18(169)/2015 दिनांक 30 जुलाई, 2015 तथा शासनादेश संख्या–1115/XVII(II)/2016–18(184)/2015 दिनांक 15 जून, 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क पट्टे पर आवंटित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

....2

(1) भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

(2) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

(3) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(4) यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

(5) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

(6) जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

(7) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

(8) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(9) प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भू–व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी)संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

3– कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या–595/XVIII(II)/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

....3

3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4– निदेशक, ई0सी0एच0एस0 आर्ग0, कृते स्थानापन्न जी0ओ0पी0, मुख्यालय, उत्तराखण्ड सब एरिया, पिन–900461 द्वारा 56 ए0पी0ओ0।

5– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।

6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।